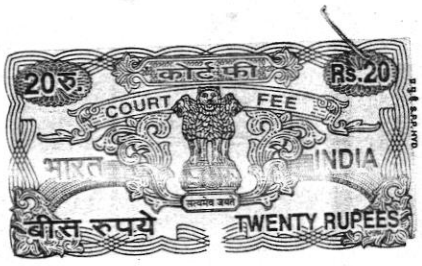

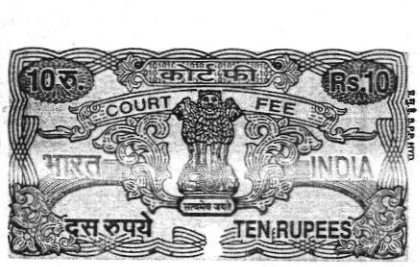

12

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

PBR/अपील/झाबुआ/आ.अ/2017/2878

अपील प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–झाबुआ

मेसर्स ग्रेट गेलियन बेन्चर्स लिमिटेड, सेजवाया, जिला–धार (म.प्र.)

..... अपीलार्थी

विरूद्ध

(1) आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर
(2) उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता, इन्दौर (म.प्र.)
(3) जिला आबकारी अधिकारी जिला झाबुआ (म.प्र.)
(4) जिला आबकारी अधिकारी मैसर्स ग्रेट गेलियन बेन्चर्स लिमिटेड सेजवाया जिला–धार (म.प्र.)

..... प्रत्यर्थीगण

न्यायालय/कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)/2017–18/3659 में पारित आदेश दिनांक 17.07.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम सन् 1915 की धारा 62(2)–सी के अधीन अपील।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अपील/झाबुआ/आ.अ./2017/2878

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-12-2018	अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2)(सी) के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/3659 में पारित आदेश दिनांक 17-7-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्र क्रमांक 5(1)14-15/1153 दिनांक 30-3-2015 द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु अपीलार्थी कम्पनी को बोतलबंद देशी मदिरा देशी प्रदाय क्षेत्र झाबुआ आबंटित किया गया था । उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, इंदौर के प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी मदिरा स्टोरेज भाण्डागार पेटलावद पर अवधि माह अप्रैल, 2015 से मार्च 2016 तक कुल 1 दिवस, विगत माह के 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद देशी मदिरा का संग्रह नहीं रखा गया है । अपीलार्थी कम्पनी द्वारा की गई उक्त अनियमितता के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । अपीलार्थी का उत्तर समाधानकारक नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/3659 में दिनांक 17-7-2017 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 (जिसे संक्षेप में म.प्र. देशी स्प्रिट नियम कहा जायेगा) के नियम 4(4) का उल्लंघन किये जाने से नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय होने से अपीलार्थी कम्पनी पर रूपये 15,000/- शास्ति अधिरोपित करने के साथ ही अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी स्टोरेज मद्यभाण्डागार पेटलावद में अवधि माह अप्रैल, 2015 से मार्च 2016 तक कुल 1 दिवस बोतलबंद देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखे जाने के कारण रूपये 250/- प्रतिदिन के मान से रूपये 250/- शास्ति अधिरोपित करते हुए कुल 15,250/- रूपये जमा करने के आदेश दिये गये । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3/ उभय पक्ष द्वारा मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हुए लिखित तर्क भी प्रस्तुत करने का निवेदन किये जाने पर उन्हें सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु उनके द्वारा नियत अवधि में लिखित तर्क	

प्रस्तुत नहीं किए गए हैं । अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है । यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का विधिवत जवाब प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा वर्ष 2015-16 में मद्यभाण्डागार झाबुआ एवं पेटलावद पर दोगुने से अधिक स्कंध रखा गया है और मद्यभाण्डागार पेटलावद पर न्यूनतम संग्रह पूरे वर्ष में केवल माह मई में एक दिवस 291.28 प्रुफ लीटर कम रहा, किन्तु इससे किसी प्रकार से प्रदाय प्रभावित नहीं हुआ है । अपीलार्थी कम्पनी द्वारा फुटकर ठेकेदारों को उनकी मांग के अनुसार प्रदाय दिया गया है, जिस पर कोई विचार नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) व सी.एस. 1 लायसेंस की शर्त क्रमांक 3 का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, इसलिए नियम 12(1) के प्रावधान प्रकरण में लागू नहीं होते हैं । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी एवं राज्य शासन के मध्य एक संविदा है और संविदा अधिनियम की धारा 73 एवं 74 के अंतर्गत यदि किसी पक्ष को कोई हानि होती है तो उसकी पूर्ति करायी जा सकती है । इस प्रकरण में राज्य शासन को क्या हानि हुई, इसे सिद्ध करने का प्रमाण भार राज्य शासन पर था, जो कि उनके द्वारा साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया गया है । अत: प्रमाण भार के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उसे आबंटित प्रदाय क्षेत्र जिला झाबुआ के देशी स्टोरेज मद्यभाण्डागार पेटलावद पर अप्रैल, 2015 से मार्च 2016 तक कुल 1 दिवस निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखा गया है । अत: अपीलार्थी कम्पनी का उक्त कृत्य नियम एवं लायसेंस की शर्त का स्पष्टत: उल्लंघन है । उपरोक्त स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी पर जो शास्ति अधिरोपित की गई है, वह उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उसे आबंटित प्रदाय क्षेत्र जिला झाबुआ के देशी मदिरा स्टोरेज मद्यभाण्डागार पेटलावद पर अवधि माह अप्रैल, 2015 से मार्च 2016 तक कुल 1 दिवस, विगत माह के 5 दिन के

औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखा गया है, जबकि म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) के अनुसार प्रदाय संविदाकार द्वारा स्टोरेज मद्यभाण्डागार में बोतलबंद देशी मदिरा के प्रदाय के 5 दिवस समतुल्य निर्धारित न्यूनतम संग्रह रखना अनिवार्य है । भले ही अपीलार्थी द्वारा निर्धारित न्यूनतम संग्रह नहीं रखने से शासन को राजस्व की हानि नहीं हुई हो, परन्तु अपीलार्थी कम्पनी को विहित वैधानिक व्यवस्था का पालन करना आवश्यक है । अतः अपीलार्थी कम्पनी का उक्त कृत्य म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) का उल्लंघन होकर नियम 12(1) के तहत दण्डनीय होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी पर 15,000/- रूपये शास्ति अधिरोपित करते हुए अपीलार्थी कम्पनी द्वारा मद्यभाण्डागार पेटलावद में अवधि माह अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 में कुल 1 दिवस विगत माह के 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखने से 250/- रूपये प्रतिदिन के मान से रूपये 250/- शास्ति अधिरोपित करते हुए कुल 15,250/- रूपये जमा करने के जो आदेश दिये गये हैं, वह उचित होने से उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः इस संबंध में अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 17-7-2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष